रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 217] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 27, 2016/माघ 7, 1937
No. 217] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 27, 2016/ MAGHA 7 , 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2016

का.आ. 246(अ).—भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित अधिसूचना का प्रारुप, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए जाने का प्रस्ताव है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार जनसाधारण की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट करने वाली भारत के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्ताव पर कोई आक्षेप करने या सुझाव देने का इच्छुक कोई व्यक्ति, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर लिखित में सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को डाक द्वारा या इलैक्ट्रानिक रूप से ई-मेल पते : mk.singh65@ias.nic.in और satish.garkoti@nic.in पर उन्हें अग्रेषित कर सकेगा ।

प्रारूप अधिसूचना

केंद्रीय सरकार ने भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (सरंक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) के अधीन जारी की गई अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा यह निदेश दिया था कि इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से ही नवीन परियोजनाओं या क्रियाकलापों के अपेक्षित संनिर्माण या उक्त अधिसूचना की अनुसूची में सूचीबद्ध विद्यमान परियोजनाओं या क्रियाकलापों के विस्तारण या आधुनिकीकरण के कार्य को, जिसमें प्रक्रिया या तकनीक और/या

उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन सहित क्षमता में वृद्धि किया जाना सम्मिलित है, भारत के किसी भाग में केवल, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या केंद्रीय सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन सम्यक् रूप से गठित राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से, उसमें विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार, पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति लेने के पश्चात् ही आरंभ किया जाएगा;

और मंत्रालय को अधिसूचना के उपबंधों के कार्यन्वयन को और सुव्यवस्थित करने के लिए सुझाव प्राप्त हुए हैं और इस प्रकार प्राप्त सुझावों को विचारार्थ और सिफारिशों के लिए विशेषज्ञ समिति को निर्दिष्ट किया गया था । उनकी सिफारिशों के आधार पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा उक्त अधिसूचना के उपबंधों का पुनर्विलोकन किया गया है ;

और कुछ औद्योगिक परियोजनाओं में, उत्पादन प्रक्रिया, उपस्करों, प्राक्कलित प्रदूषण भार और योजनाबद्ध न्यूनीकरण उपायों की जानकारी, जो पर्यावरणीय अनापत्ति में उल्लिखित है, ब्यौरेवार डिजाइन इंजीनियरी, जिसे मुख्यतः पर्यावरणीय अनापत्ति अभिप्राप्त करने के पश्चात् आरंभ किया जाता है, के पश्चात् परिवर्तित हो जाती है । पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 में, संपूर्ण पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया से पुनः गुजरे बिना वास्तविक जानकारी या डाटा के आधार पर पर्यावरणीय अनापत्ति में पारिणामिक परिवर्तन के लिए उपबंध होना चाहिए, परंतु प्रस्तावित परिवर्तन के परिणामस्वरूप पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए ;

और विद्यमान भूखंड के भीतर विद्यमान परियोजनाओं (जिन्हें पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है) के आधुनिकीकरण या उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन को उस समय पृथक पर्यावरणीय अनापत्ति से छूट प्रदान की जाए, यदि पूर्व में अनुमोदित परिकल्पित सीमा से परे कोई अतिरिक्त प्रदूषण भार नहीं है ;

और सीमेंट उद्योग में कोयले की मांग को कम करने और सह-प्रसंस्करण में वृद्धि करने के लिए सीमेंट भट्टों में कोयले के स्थान पर पेट कोक, जो कि पेट्रोलियम परिष्करण उद्योग में एक उप-उत्पाद है, के उपयोग का संवर्धन किया जाए । सीमेंट भट्टों में ईंधन के रूप में पेट कोक का उपयोग करने से आधिक्य SO_2 उत्सर्जन उत्पन्न नहीं होते हैं और इससे फ्लाई एश और धातुमल के उपयोग में आगे और वृद्धि करने में भी सहायता प्राप्त होती है । ईंधन मिश्रण में कोयले के स्थान पर पेट कोक को परिवर्तित करने में सीमेंट इकाइयों की पर्यावरणीय अनापत्ति में कोई संशोधन अपेक्षित नहीं होना चाहिए, जहां केवल कोयले को ईंधन के रूप में विहित किया गया है ;

और उक्त पर्यावरण (संरक्षण) नियमों के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) में यह उपबंधित है कि जब कभी केन्द्रीय सरकार यह विचार करती है कि किसी क्षेत्र में कोई प्रसंस्करण या प्रचालन करने वाले किसी उद्योग पर प्रतिषेध या निर्बधंन अधिरोपित किए जाने चाहिएं, तो वह अपने ऐसा करने के आशय की सूचना देगी ;

अत:, अब, केंद्रीय सरकार, उक्त पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित उक्त पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में,-

(I) पैरा 7 के उप पैरा (ii) के पश्चात् निम्नलिखित उप पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा , अर्थात् :-

"7(ii)(क) ब्यौरेवार डिजाइन इंजीनियरी के पश्चात् पूर्ववर्ती पर्यावरणीय अनापत्ति में उत्पादन प्रक्रिया, उपस्कर, प्राक्कलित प्रदूषण भार और योजनाबद्ध न्यूनीकरण उपायों के संबंध में परिवर्तन की ईप्सा करने वाला आवेदन अपेक्षित सूचना के साथ प्ररूप 1 में किया जाएगा:

परंतु प्रस्तावित परिवर्तनों के परिणामस्वरूप पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा:

परंतु यह और कि पर्यावरणीय अनापत्ति को, संबंधित विशेषज्ञ आंकलन समिति (ईएसी) या राज्य विशेषज्ञ आंकलन समिति (एसईएसी) द्वारा किए गए इस आंकलन के आधार पर कि प्रस्तावित परिवर्तन के परिणामस्वरूप

पर्यावरण पर कोई अतिरिक्त महत्वूपर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा, संपूर्ण पर्यावरणीय अनापत्ति प्रक्रिया से गुजरे बिना प्रदान किया जा सकेगा ।

7(ii)(ख) ऐसे विद्यमान परिसरों के भीतर, जिनके पास इस अधिसूचना के अधीन पूर्ववर्ती पर्यावरणीय अनापत्ति है, आधुनिकीकरण के साथ या उत्पाद मिश्रण में कोई परिवर्तन किए बिना पर्यावरणीय अनापत्ति की ईप्सा करने वाला कोई आवेदन इस प्रभाव की अपेक्षित जानकारी के साथ प्ररूप 1 में किया जा सकेगा, जो यह साबित कर सके कि गुणवत्ता और मात्रा, दोनों के निबंधनानुसार प्रदूषण भार में कोई वृद्धि नहीं हुई है:

परंतु ऐसे आवेदन का आंकलन विशेषज्ञ आंकलन समिति (ईएसी) या राज्य विशेषज्ञ आंकलन समिति (एसईएसी) द्वारा यह सिफारिश करने के लिए किया जाएगा कि कोई पृथक् पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त की जाए या पूर्ववर्ती पर्यावरणी अनापत्ति में संशोधन किया जाए ।";

(II) अनुसूची की मद 3(ख) के सामने स्तंभ (5) में की प्रविष्टि "साधारण शर्त लागू होगी" के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"टिप्पण: सीमेंट उद्योग के लिए ईंधन कोयला या कोयला और पेटकोक का मिश्रण हो सकेगा।"।

[फा. सं. जे-11013/12/2013-आईए-II(I)(भाग)]

मनोज कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् उसको का.आ. 1737(अ), तारीख 11 अक्तूबर, 2007; का.आ. 3067(अ), तारीख 1 दिसंबर, 2009; का.आ. 695(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 ; का.आ. 2896(अ), तारीख 13 दिसबर, 2012 ; का.आ. 674(अ), तारीख 13 मार्च, 2013 ; का.आ. 2559 (अ), तारीख 22 अगस्त, 2013 ; का.आ. 2731(अ), तारीख 9 सितंबर, 2013; का.आ. 562(अ), तारीख 26 फरवरी, 2014; का.आ. 1599(अ), तारीख 25 जून, 2014; का.आ. 2601(अ), तारीख 7 अक्तुबर, 2014 ; का.आ. 2600(अ), तारीख 9 अक्तुबर, 2014; का.आ. 3252(अ), तारीख 22 दिसंबर, 2014 ; का.आ. 382(अ), तारीख 3 फरवरी, 2015; का.आ. 811(अ), तारीख 23 मार्च, 2015; का.आ. 996(अ), तारीख 10 अप्रैल, 2015 ; का.आ. 1142(अ), तारीख 17 अप्रैल, 2015; का.आ. 1141(अ), तारीख 29 अप्रैल, 2015 ; का.आ. 1834(अ), तारीख 6 जुलाई, 2015 ; का.आ. 2572(अ), तारीख 14 सितंबर, 2015 और का.आ. 141(अ), तारीख 15 जनवरी, 2016 द्वारा संशोधित किया गया था ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th January, 2016

S.O. 246(E).—The following draft of the notification, further to amend the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O.1533(E) dated the 14th September, 2006 which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposal contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified, to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or at e-mail address: - mk.singh65@ias.nic.in and satish.garkoti@nic.in.

DRAFT NOTIFICATION

Whereas, by notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide number S.O.1533(E), dated the 14th September, 2006 issued under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 read with clause (d) of the sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government directed that on and from the date of its publication, the required construction of new projects or activities or the expansion or modernisation of existing projects or activities listed in the Schedule to the said notification entailing the capacity addition with change in process or technology and / or product mix shall be undertaken in any part of India only after prior environmental clearance from the Central Government or as the case may be, by the State Level Environment Impact Assessment Authority, duly constituted by the Central Government under sub-section (3) of section 3 of the said Act, in accordance with the procedure specified therein;

And whereas, the Ministry has received suggestions for further streamlining of the implementation of provisions of the Notification and the suggestions so received were referred to the Expert Committee for consideration and recommendations. Based on their recommendations the provisions of the said notification have been reviewed by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change;

And whereas in some industrial projects, information of production process, equipments, estimated pollution load and planned mitigation measures, which are mentioned in environmental clearance, change after detailed design engineering which is mostly undertaken after environmental clearance is granted. The Environmental Impact Assessment Notification, 2006 should provide for resultant change in environmental clearance based on factual information or data without having to go through entire environmental clearance process again, provided the proposed change does not result in any adverse impact on environment;

And whereas, the modernisation or change in product mix of existing projects (having environmental clearance) within existing plot may be exempted from separate environmental clearance if there is no additional pollution load beyond the earlier approved limit envisaged;

And whereas, the use of pet coke, a by-product of petroleum refinery industry in place of coal, in cement kilns be promoted to reduce coal demand of the cement industry and increase the co-processing. The use of Pet coke as fuel in cements kilns does not produce excess SO_2 emissions and also helps in further increasing the usage of fly ash and slag. A change in fuel mix from coal to pet coke should not require an amendment in environmental clearance of cement units where only coal has been prescribed as fuel;

And whereas clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said Environment (Protection) Rules provides that, whenever the Central Government considers that prohibition or restrictions of any industry or carrying on any processes or operation in any area should be imposed, it shall give notice of its intention to do so;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the said Environment (Protection) Act, 1986 read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the said Environment Protection Rules, 1986 the Central Government hereby makes the following further amendments in the said notification, namely:–

In the said Notification,-

(I) in paragraph 7, after sub-paragraph (ii), the following sub-paragraph shall be inserted, namely:-

"7 (ii)(a) Application seeking change in prior environmental clearance about change in production process, equipments, estimated pollution load and planned mitigation measures, after detailed design engineering, shall be made in Form 1 along with requisite information:

Provided that the proposed change shall not result in any adverse impact on environment:

Provided further that the environmental clearance may be made, without going through the entire environment clearance process, based on appraisal by the concerned Expert Appraisal Committee (EAC) or State Expert Appraisal Committee (SEAC), the proposed change shall not result in any additional significant impact on environment.

7(ii)(b) Application seeking environmental clearance for modernisation with or without change in product mix within the existing premises having prior environmental clearance under this notification may be made in Form 1 along with the requisite information to prove that there is no increase in pollution load in terms of both quality and quantity:

Provided that the application shall be appraised by the concerned Expert Appraisal Committee (EAC) or State Level Expert Appraisal Committee (SEAC) to recommend a separate environmental clearance or amendment of the earlier environmental clearance.";

(II) in the Schedule, against item 3(b), in column (5), after the entry "General Conditions shall apply", the following note shall be inserted, namely:-

"**Note:** Fuel for cement industry may be coal or mixture of coal and petcoke.".

[F. No. J-11013/12/2013-IA-II(I)(part)]

MANOJ KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and subsequently amended vide numbers S.O. 1737(E) dated the 11th October, 2007, S.O. 3067(E), dated the 1st December, 2009, S.O. 695(E), dated the 4th April, 2011, S.O. 2896(E), dated the 13th December, 2012, S.O. 674(E), dated the 13th March, 2013, S.O. 2559(E), dated the 22nd August, 2013, S.O. 2731(E), dated the 9th September, 2013, S.O. 562(E), dated the 26th February, 2014, S.O. 637(E), dated the 28th February, 2014, S.O. 1599(E), dated the 25th June, 2014, S.O. 2601(E), dated 7th October, 2014, S.O. 2600(E) dated 9th October, 2014, S.O. 3252(E) dated 22nd December, 2014, S.O. 382(E), dated 3rd February, 2015, and S.O. 811(E), dated 23rd March, 2015, S.O. 996(E) dated 10th April, 2015, S.O. 1142(E) dated 17th April, 2015, S.O. 1141(E) dated 29th April, 2015, S.O. 1834(E) dated 6th July, 2015, S.O. 2572(E) dated 14th September, 2015 and S.O. 141(E) dated 15th January, 2016.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.